न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 73/20 (वाद)

GCMS No. : 2020/00153

अनवान

1. गोकलसिंह मुतबन्ना चन्दनसिंह जी जाति राजपूत, आयु 57 वर्ष, निवासी दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०), हाल निवासी–प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. निर्भयसिंह पिता कालुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत. आयु 46 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रतापसिंह पिता नानुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 45 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. रणजीतसिंह पिता कालुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 40 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. राजेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 25 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पर्वतसिंह पिता प्रतापसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 23 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. गोटूसिंह पिता भेरूसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 20 वर्ष, निवासी रेला का कुआ. दोवडाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. प्रकाश जोशी पिता गेगाराम जी जोशी, आयु वयस्क, निवासी मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. गणेश डाँगी पिता नामालुम, जाति डाँगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्र.सं. 1 से 6 ।

3. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्र.सं. 7, 8 ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 24.03.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोटीखेडी, पटवार क्षेत्र महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 108, 109, 112, 134, 135, 136, 137, 1139/130, 1141/133 किता 9 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ वादी एवं मेरी माता मु. वदनकुवर बेवा चन्दनसिंह के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। माता मु. वदनकुंवर का निधन हो चुका है जिनका एकमात्र विधिक वारिस में वादी हूँ।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूँ और अपनी माता मु. वदनकुंवर का एकमात्र वारिस भी मैं वादी होकर कुलिया कृषि भूमियों पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूँ। उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन मैं वादी वर्तमान में अपने परिवार सहित बाहर निवास कर रहा हूँ जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जो खनन माफिया गिरोह का सदस्य होकर धनबल एवं भुजबल के आधार पर दादागिरी से मेरी जमीन को हड़पने की गरज से उक्त कृषि भूमि में से आराजी नम्बर 112 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण कर प्रतिवादी संख्या 7, 8 जो ठेकेदार है, के जरिए जे०सी०बी मशीनों से अवैद्य रूप से खनन करवाना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी दिनांक 13.07.2020 को गाँव में रहने वाले मेरे परिवार के लोग राजेन्द्रसिंह, देवीसिंह, हरिसिंह जो मेरी जमीन की सार सम्भाल करते है, को होने पर इन लोगों प्रतिवादीगण को मेरी जमीन पर खनन कर मिट्टी ले जाने से मना किया लेकिन ये प्रतिवादीगण नहीं माने और आराजी नम्बर 112 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि पर निरन्तर खनन कराना चालु रखा और अवैद्य रूप से खनन कर लगभग 05 लाख रूपये कीमत के करीब 80 ट्रीप डम्पर मिट्टी भरकर चोरी कर ले गये। मेरे परिवारवालों द्वारा मुझ वादी को इस बारे में सूचना देने पर मैने गाँव आकर मौके पर जाकर प्रतिवादीगण को मेरी

जमीन पर खनन करने से मना किया तो भी ये लोग नहीं माने और वर्तमान में भी प्रतिवादीगणों द्वारा खनन कार्य कराना चालु करा रखा है और मिट्टी को डम्परों में भर–भरकर ले जा रहे है। इसके अलावा मेरी जमीन पर 100 वर्षों पुराना एक आम का वृक्ष था जिसकी जड़े भी इन लोगों ने जे०सी०बी मशीन से खुदवा दी जिससे आम के पेड़ की सुखने जैसी स्थिति हो गई है तथा कांटो व थौहर की बाड को जे०सी०बी० से नष्ट कर दी और पत्थर के कोट को भी करीब 200 फीट तक गिरा दिया। जबकि प्रतिवादीगण का मेरी इस जमीन में या इस जमीन के आस पास की जमीनों में कोई हक अधिकार नहीं है और न ही पूर्व में कभी हक अधिकार रहा है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तत्काल स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराकर खनन कार्य को रुकवाने का अधिकारी हूँ इसलिये माननीय न्यायालय आपमें यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि मुझ वादी का मजबूत प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित जमीन मुझ वादी के स्वामित्व आधिपत्य की है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर मेरी जमीन पर जोर जबरदस्ती खनन करवा रहे है और मिट्टी डम्परों में भरकर ले जा रहे है और मना करने पर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है। करीब 05 लाख रूपया कीमत की मिट्टी खोद कर चोरी कर ले गये है। 100 वर्ष पुराने आम के पेड़ की जड़े खोदकर पेड को नुकसान पहुँचाया और बाड़ को नष्ट कर दी और 200 फीट लम्बे पत्थरों के कोट को गिरा दिया जिससे भी मुझ वादी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और प्रतिवादीगण द्वारा कराये जा रहे अवैद्य खनन से मेरी जमीन में बडे–बडे गहरे खडडे हो गये है और जमीन की उपजाऊता खतम हो गई है। प्रतिवादीगण के कृत्य से मौके पर हर समय अशांति का माहोल बना हुआ होकर किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती है। इसलिये में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 112 अथवा अन्य आराजीयात के किसी भी भू भाग पर किसी प्रकार से खनन कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी के मार्फत करावें, कच्चा एवं पक्का निर्माण नहीं करे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नहीं करे, न किसी प्रकार की मशीनरी

लगावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को अतुलनीय अपरिमित क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

4. यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 13.07.2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादगत भूमि पर जबरन प्रवेश कर खनन कार्य कराना प्रारम्भ किया तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, आराजी नम्बर 112 या अन्य आराजीयात पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से खनन कार्य न तो स्वयं करे, न ही अन्य के मार्फत करावें, न किसी प्रकार की मशीनरी स्थापित करे, वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, कच्चा / पक्का निर्माण नही करे, मिट्टी नही ले जावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। अन्य मुफिद दाद वादी जो कानूनन माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाई जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमियों पर वादी अथवा मु० वदनकुंवर बेवा चन्दनसिंह का कभी कोई हक अधिकार कब्जा भुगत नही रहा है और न ही वर्तमान में हैं। वास्तविकता तो यह है कि वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमिया विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से हम प्रतिवादीगण के मौरूसान तथा हमारे मौरूसान के निधनोपरान्त उनके वारिसान और हम प्रतिवादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में

पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है तथा वर्तमान में हम प्रतिवादीगण ही अपने परिवारजन सहित इन कृषि भूमियों पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमारे मौरूसों एवं हम प्रतिवादीगण ने पीढी दर पीढ़ी इस भूमि पर लाखों रूपयों की लागत लगाकर एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम कर कुलिया कृषि भूमि को उपजाऊ बनाकर आवादान योग्य की है और निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस भूमि पर आम सहित अन्य कई फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाये गये और अपनी संतान की तरह ही उनकी सार सम्भाल एवं देखरेख करते हुए बड़े किये गये जो वर्तमान में विशालकाय पेड़ बन गये है जिन सभी फलदार एवं छायादार वृक्षों का हमारे मौरूस एवं हम प्रतिवादीगण निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा हमारे परिवार की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत भी उक्त कृषि भूमि पर होने वाली पैदावार ही हैं और इससे ही हमारा व हमारे परिवारजनों का भरण पोषण होता रहा है और वर्तमान में भी हो रहा हैं। किन्तु वादी व इसके परिवार के लोग राजनैतिक रूप से काफी प्रभावशाली होकर धनाढ्य व्यक्ति होने से साठ गाठ कर हमारी कुलिया जमीन को अपने पक्ष में आवंटन करवा ली। जबकि इस भूमि पर हमारे मौरूस एवं हमारे अलावा वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का पलभर के लिये इन्च मात्र भूमि पर भी कब्जा अधिकार नही रहा हैं। वर्तमान में उक्त भूमि काफी विकसित एवं आवादान योग्य होने से तथा जमीन की कीमतों में मारी उछाल आ जाने से वादी के मन में लोभ लालच की भावना जाग्रत हो गई है तथा वादी ने लोभ लालच के वशीभूत होकर हमसे हमारी भूमियों को हथियाने की बदनियती से सभी वास्तविक एवं सही तथ्यों को छुपाते हुए यह गलत, मनगढन्त, मिथ्या एवं कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित मुकदमा हमारे विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसमें वादी को कभी भी सफलता हासिल नही होगी और वादी का हस्तगत प्रकरण अन्ततः सव्यय खारिज होगा। ऐसी अवस्था में वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। वादी का कोई प्राइमाफैसी केस नही है और न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमिया विगत 100 से अधिक वर्षों से अर्थात प्रारम्भ से ही हमारे मौरूस एवं हमारे मौरूसों के पश्चात्

उनके वारिसानों एवं हम प्रतिवादीगण पीढी दर पीढी शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

7. यह कि हम प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि हमारे मौरूसों से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर हम प्रतिवादीगण अपने–अपने परिवारजनों सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और काफी लागत लगाकर भूमियों को विकसित की है और मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार ले रहे है जिसमें वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं रहा है और न ही वादी या इसके परिवार के लोग इस जमीन पर आये है। लेकिन वादी अब लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर इस मिथ्या मुकदमें की आड़ लेकर हमसे हमारी बहुमूल्य भूमि (जो हमें हमारे मौरूसान से विरासत में प्राप्त हुई है) को हडपना चाह रहा है और इसी गरज से इस तरह के उल जलुल कथन कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया है। जबकि इस जमीन के इन्च मात्र भू भाग पर भी वादी या इसके परिवार का कभी कोई कब्जा अधिकार नही रहा है और न ही वर्तमान में हैं। ऐसी अवस्था में वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है। यदि हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वादी इसकी आड़ लेकर हम प्रतिवादीगण को हमारी भूमियों से बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा कर लेगा जिससे हम प्रतिवादीगण अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगें और हम प्रतिवादीगण के जायज हक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होगा। इस तरह स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हम प्रतिवादीगण को भारी अतुलनीय एवं परिमित क्षति एवं हानिहोगी जबकि इसके विपरीत स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से वादी को न तो कोई क्षति होगी और न ही कोई असुविधा होगी। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

8. प्रतिवादी संख्या 7, 8 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण जबरन वादी की आराजीयात में मिट्टी खनन करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं होकर प्रतिवादीगण व हमारे मौरूस वादग्रस्त आराजीयात का विगत 100 वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अतः वादी किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। वाद खारिज किया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 6

3. अनुतोष।

9. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी स्वयं का गोकलसिंह मुतबन्ना चन्दनसिंह राजपुत निवासी दोवडाई मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी स्वयं द्वारा दस्तावेज मौजा मोटीखेड़ी की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 1 पेश किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी स्वयं से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा की गई। वादी द्वारा और गवाह पेश नही करने से साक्ष्यवादी का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादीगण साक्ष्यप्रतिवादी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्यप्रतिवादी गवाह उपस्थित नही होने से साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी हक की भूमि है प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण के मौरूस का था। प्रतिवादीगण के मौरूस के निधन के पश्चात उनके वारिसान अर्थात प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी एवं वादी की माता का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है।

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण जबरन वादी की आराजीयात में मिट्टी खनन करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित करवाने का भार वादी पर था। इस संबंध में वादी द्वारा प्रदर्श 1 ग्राम मोटीखेडी पटवार हल्का महुडा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 पेश की। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी के खाता संख्या 33 पर दर्ज आराजी नम्बर 108, 109, 112, 134, 135, 136, 137, 1139/130, 1141/133 किता 9 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी एवं वादी की माता मु. वदनकुंवर बेवा चन्दसिंह राजपुत के नाम दर्ज है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी में वादी रेकार्डेड सहखातेदार हैं। रेकार्डेड सहखातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण जबरन खनन कार्य करते है तो इससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी। खेती काश्त करने में भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय का यह भी मानना है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। कृषि भूमि में केवल मात्र खेती काश्त की जा सकती है। अर्थात कृषि भूमि में खनन कार्य नही किया जा सकता है। ऐसे में स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार भी नही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विपरीत जाकर कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के खनन कार्य करना न्यायोचित नही है। इससे वादी के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु वादी के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के पक्ष में साबित की जाती है।

2. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं होकर प्रतिवादीगण व हमारे मौरूस वादग्रस्त आराजीयात का विगत 100 वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अतः वादी किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। वाद खारिज किया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 6

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पर रहा। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य/स्वतंत्र गवाह पेश नही किया। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने का कोई प्रयास ही नही किया। केवल मात्र वाद में कब्जे संबंधी कथन अंकित कर दिया। न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही होगा अन्यथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अवश्य ही उक्त तनकी को साबित कराने का प्रयास करते। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध साबित की जाती है।

उपर्युक्त तनकी वार विश्लेषण के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि का खातेदार वादी एवं वादी की माता है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है। साथ ही कृषि भूमि में खनन कार्य करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विरूद्ध है। वैसे भी तनकी संख्या 1 को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी अपने पक्ष की तनकी को साबित कराने में सफल रहा। तनकी संख्या 2 साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अपने पक्ष की तनकी संख्या 2 साबित कराने में असफल रहे। प्रतिवादी संख्या 7, 8 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही किया। इससे जाहीर होता है कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। अन्यथा प्रतिवादी संख्या 7, 8 अवश्य ही जवाब पेश कर वादी के वाद का खण्डन करते हुए किए गए खण्डन को साबित कराने का प्रयास करते। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मोटीखेडी पटवार हल्का महुडा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2071—74 के खाता संख्या 33 पर दर्ज आराजी नम्बर 108, 109, 112, 134, 135, 136, 137, 1139/130, 1141/133 किता 9 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का खनन कार्य नही करे। वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. गोकलसिंह मुतबन्ना चन्दनसिंह जी जाति राजपूत, आयु 57 वर्ष, निवासी दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०), हाल निवासी–प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. निर्भयसिंह पिता कालुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत. आयु 46 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रतापसिंह पिता नानुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 45 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. रणजीतसिंह पिता कालुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 40 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. राजेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 25 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पर्वतसिंह पिता प्रतापसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 23 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. गोटूसिंह पिता भेरूसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 20 वर्ष, निवासी रेला का कुआ. दोवडाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. प्रकाश जोशी पिता गेगाराम जी जोशी, आयु वयस्क, निवासी मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. गणेश डाँगी पिता नामालुम, जाति डाँगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 243/14 (वाद)

GCMS No. : 2014/00031

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मोटीखेडी पटवार हल्का महुडा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 33 पर दर्ज आराजी नम्बर 108, 109, 112, 134, 135, 136, 137, 1139/130, 1141/133 किता 9 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का खनन कार्य नही करे। वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.03.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली